न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 35/2023 दायर दिनांक 19.01.2023

वादी

1. जुगल किशोर पुत्र बनाराम जाति मेघवाल निवासी अलखपुरा तहसील मौलासर जिला नागौर
2. देबूराम पुत्र नन्दाराम जाति मेघवाल निवासी डिकावा तहसील मौलासर जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. किशोर पुत्र गणपतराम
2. मंजू देवी पुत्री गणपतराम
3. कमला देवी पुत्री गणपतराम
4. सायरी देवी पत्नी गणपतराम
5. लिलु पुत्र कालुराम
6. भंवराराम पुत्र कालुराम
7. गीता देवी पत्नी कालुराम समस्त जाति नायक निवासीगण झाडोद तहसील मौलासर
8. गोपालराम पुत्र भींवराम जाति मेघवाल निवासी झाड़ोद तहसील मौलासर
9. नेमाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी मावा
10. नेमाराम पुत्र घासीराम जाति नायक निवासी अलखपुरा
11. नानकराम पुत्र हुक्माराम जाति नायक निवासी झाड़ोद
12. प्रदीप चावला पुत्र हरभगवान जाति बावरी (खटीक) निवासी नावां सिटी तह0 नावा
13. परमेश्वर पुत्र छोटूराम जाति नायक निवासी झाड़ोद
14. वालाराम पुत्र हुक्माराम जाति मेघवाल (नायक) निवासी झाड़ोद
15. भोलाराम पुत्र हुक्माराम जाति नायक निवासी झाड़ोद
16. शंकरलाल पुत्र राधाकिशन जाति मेहत्तर निवासी मौलासर
17. हणमानराम पुत्र धीराराम जाति मेघवाल निवासी सींवा तहसील लाडनूं जिला नागौर
18. तहसीलदार मौलासर

दावा बाबत्
बंटवाड़ा, घोषणा खातेदारी, व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री रणजीत बलारा वकील वादीगण।
2. श्री कमलेश कुमार वकील प्रतिवादी सं0 5 ता 7

–:: अंतिम निर्णय ::–

दिनाँक 09.05.2025

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि राजस्व ग्राम मौजा झाड़ोद, पटवार हल्का अलखपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक मौलासर, तहसील मौलासर जिला नागौर के खेत खसरा सं0 185 रकबा 7.5330 आरसी। भूमि [illegible] व प्रतिवादीगण के मध्य बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन प्रस्तावित [illegible] दिनांक 16.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार मौलासर को नि[illegible]या गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार मौलासर ने अपने पत्रांकः 402 दिनॉक 09.04.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्तावित किया। तहसीलदार मौलासर द्वारा प्रस्तावित बन्टवारा पर बहस पक्षकारान् सुनी गयी जिसमें पक्षकारान बंटवारा प्रस्तावानुसार विभाजन करवाने हेतु सहमत हैं। बंटवारा प्रस्तावित करने में तहसीलदार मौलासर सक्षम प्राधिकारी है। अतः तहसीलदार मौलासर के द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 402 दिनॉक 09.04.2025 को स्वीकार कर, हस्तगत वाद अंतिम डिक्री सादिर किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि :–

–:: आदेश ::–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, राजस्व ग्राम मौजा झाड़ोद, पटवार हल्का अलखपुरा, भू–अभिलेख निरीक्षक मौलासर, तहसील मौलासर जिला नागौर के खेत खसरा सं0 185 रकबा 7.5330 हैक्टे0 की भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य तहसीलदार मौलासर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 402 दिनॉक 09.04.2025 में वर्णितानुसार भूमि का, पक्षकारान् को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता विभाजन करने के आदेश दिए जाते है।

तहसीलदार मौलासर का विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांकः 402 दिनॉक 09.04.2025 निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनॉंक 09.05.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी, R.A.S.)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 14:54:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner